



थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार। मौके पर करीब 500 लीटर लाहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब व अवैध शराब का निष्कर्षण/बिक्री करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चाँदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा दिनांक 18.06.2021 को समय 03.10 बजे जलीलपुर नहर के पास अभियुक्तगण 1.गोविन्द पुत्र कृपाल सिंह ग्राम शाहपुर भसौड़ी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2.टीकम उर्फ टिल्लू पुत्र रामदीन निवासी ग्राम घन्सूरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (भट्टी) सहित गिरफ्तार किया गया। मौके पर करीब 500 लीटर लाहन नष्ट किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण

- 1.गोविन्द पुत्र कृपाल सिंह ग्राम शाहपुर भसौड़ी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 2.टीकम उर्फ टिल्लू पुत्र रामदीन निवासी ग्राम घन्सूरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर



बरामदगी

40 लीटर कच्ची शराब, 500 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण (भट्टी)

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

मु0अ0सं0 364/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास टीकम उर्फ टिल्लू

मु0अ0सं0 23/21 धारा 13जी एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह उज्जवल, 2.का0 1099 पंकज, 3.का0 1722 अमित वर्मा, 4.का0 412 आदेश कुमार, 5.का0 586 ओमकार सिंह

नोट:- दिनांक 01.01.2021 से अब तक 38 अभियुक्तगण से 25 अवैध शराब की भट्टी, 1376 लीटर अवैध कच्ची शराब व मौके पर 26730 लीटर लाहन नष्ट किया गया है।

थाना नूरपुर:- आज दिनांक 18.06.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाना शि०कलां पर पंजीकृत मु०अ०सं० 44/21 धारा 3 (1) गैग० एक्ट का वांछित अभि० गुड्डू कुमार पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नूरपुर:- आज दिनांक 18.06.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभि० आरिफ पुत्र मुबारिक निवासी रवाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को सम्बन्धित मु०अ०सं० 208/21 धारा 3/8 गोवध अधि० व 11 पशु कूरता अधि०में गिरफ्तार किया गया।



थाना मण्डावली:- आज दिनांक 18.06.2021 को थाना मण्डावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112 /21 धारा 323 504 506 376 377 आईपीसी व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के वांछित अभियुक्त मोहम्मद तकरीर पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी ग्राम भागोवाला थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 18.06.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.प्रीतम पुत्र सीताराम 2.डालचंद पुत्र सीताराम 3.चंद्रशेखर पुत्र सीताराम 4.मनोज पुत्र सीताराम समस्त निवासीगण सुखानंदपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

